इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2016—भाद्र 5, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 13933-236-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अगस्त, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१६

विषय—सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ८ का संशोधन.
३. धारा ९ का संशोधन.
४. धारा ९-ख का अत:स्थापन
५. धारा ३९ का संशोधन.
६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१६

[दिनांक २६ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ अगस्त, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

धारा ८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ८ में, उप-धारा (५) का लोप किया जाए.

धारा ९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप-धारा (१) में, शब्द "तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो" का लोप किया जाए.

धारा ९-ख का अतः स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, अध्याय-दो में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

निजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन का प्रस्तुत किया जाना.

"९-ख. निजी विश्वविद्यालय किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण के लिये विनियामक आयोग को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के पश्चात् विनियामक आयोग पाई गई किसी न्यूनता के बारे में उक्त विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और उसे ठीक करने के लिये उसे एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा. विनियामक आयोग ऐसी कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उस न्यूनता को ठीक नहीं कर दिया जाता.".

धारा ३९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (१) में, प्रारंभ में, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"निजी विश्वविद्यालय के निगमन के पश्चात् किन्तु प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के छह माह के भीतर निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए, निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक १ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 13933-236-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 24 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.

2. Amendment of Section 8.

3. Amendment of Section 9.

4. Insertion of Section 9-B

5. Amendment of Section 39

6. Repeal and Saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 24 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 26st August, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th August, 2016.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 8.

2. In Section 8 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), sub-section (5) shall be omitted

Amendment of Section 9.

3. In Section 9 of the principal Act, in sub-section (1), the words "and inspection report of the University Grants Commission, if any" shall be omitted.

Insertion of Section 9-B.

4. After Section 9-A of the principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter II, namely :—

Submission of application by private university for inspection.

"9-B. The Private University shall submit an application in the prescribed format to the Regulatory Commission for inspection before starting any classes or courses, and after inspection, the Regulatory Commission may indicate to the said university, any deficiency found and shall give it a reasonable opportunity to rectify the same. The Regulatory Commission shall not grant permission to run such classes or courses till the deficiency is rectified.".

Amendment of Section 39.

5. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), the following paragraph shall be inserted at the beginning, namely :—

"After incorporation of the private university, but within six months of the commencement of first course, it shall be mandatory for the private university to submit an application to the University Grants Commission for inspection, in such manner as prescribed by the University Grants Commission.".

Repeal and Saving.

6. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2016 (No. 1 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.